न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2020 निजीवन | दायर दिनांक–29.01.2020
निर्णय दिनांक–13.08.2020

श्री सरकार बजरिए भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा जिला डूंगरपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री मणिया, डाईया, रतु, शान्ता, माया वगैराह निवासी पादरा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर

....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व (निजीवन विकास हेतु अकृष्य बन्जर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 के नियम 18 के तहत

उपस्थित

श्री राजकीय पेरोकार नायब तहसीलदार डूंगरपुर वास्ते **.......प्रार्थी**

आदेश

सही प्रतिलिपि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

इस प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी श्री मणिया, डाईया, रतु, शान्ता, माया वगैराह निवासी पादरा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर को राजस्थान भू–राजस्व (निजीवन विकास हेतु अकृष्य बन्जर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 के तहत भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पादरा (तहसील सागवाडा) के आराजी खसरा नम्बर 7081/5871 रकबा 5.00 बीघा भूमि निजीवन विकास हेतु आदेश कमांक 2358 दिनांक 15.03.1985 को आवंटन 25 वर्षो की अवधि के लिए लीज पर आवंटित की गई थी। विपक्षी द्वारा आवंटन के पश्चात अब तक आवंटित भूमि पर वृक्ष नही लगाकर तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र आवंटन निरस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध विपक्षी उक्त आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी के नाम नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत रूप से तामील करवायी गई। विपक्षी के बावजूद सूचना के दिनांक 18.12.2019 को अनुपस्थित रहने से विपक्षी श्री श्री मणिया, डाईया, रतु, शान्ता, माया वगैराह निवासी पादरा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested

तदुपरान्त मेरे द्वारा प्रार्थी के राजकीय पेरोकार को एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी राजकीय पेरोकार द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

को दौराने बहस दोहराया। राजकीय पेरोकार ने बहस आगे जारी रखते हुए कहा कि पटवारी हल्का पादरा द्वारा मुर्तिब पर्चा मौका अनुसार आराजी में आवंटन से आज दिनांक तक कोई भी वृक्ष नहीं लगाया है। इस प्रकार आवंटी विपक्षी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (निजीवन विकास हेतु अकृष्य बन्जर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 के नियम 13(3) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है जिसके फलस्वरूप विपक्षी को किया गया उक्त रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन निरस्ती योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

मैनें राजकीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस पर गंभीरता से मनन किया, पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड एवं तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा विधि का परिशीलन करने पर पाया कि प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ पटवारी हल्का द्वारा मुर्तिब पर्चा मौका दिनांक 26.09.2019 अनुसार आराजी में आवंटन से आज दिनांक तक कोई भी वृक्ष नहीं लगाया है। जबकि राजस्थान भू–राजस्व (निजीवन विकास हेतु अकृष्य बन्जर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 के नियम 13(3) के अनुसार आवंटी विपक्षी को प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि के एक तिहाई क्षैत्र में, द्वितीय वर्ष में दूसरे एक तिहाई क्षैत्र में तथा तृतीय वर्ष में शेष क्षैत्र में वन विभाग द्वारा सुझाई प्रजाति के वृक्ष लगाना था, विपक्षी को भूमि आवंटित हुए करीब 35 वर्ष हो चुके हैं, किन्तु विपक्षी द्वारा आवंटित भूमि में आदिनांक तक वृक्ष नहीं लगाकर उक्त नियमों के नियम 13(3) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करना प्रमाणित होता है, परिणामस्वरूप आवंटन निरस्ती योग्य है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी : श्री मणिया, डाईया, रतु, शान्ता, माया वगैराह निवासी पादरा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर के नाम भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया मौजा पारडा सोलंकी के आराजी खसरा नम्बर 7081/5871 रकबा 5.00 बीघा भूमि निजीवन विकास हेतु मिसल नं. 2358/85 आवंटन दिनांक 15.03.1985 द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सागवाडा उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम सरकार दर्ज करें। निर्णयानुसार पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी सागवाडा तथा तहसीलदार सागवाडा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर की जावें।

13/8/20

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)

सही प्रतिलिपि

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested